(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01 / 2013

बउनवान

दाऊदभाई आयु 65 वर्ष पुत्र अलीमोहम्मद मुसलमान निवासी खेडली गदि्दयान तहसील अटरू जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

शहजाद पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान निवासी खेडली गदि्दयान तहसील अटरू जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 04.10.2019

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी शहजाद के नाम ग्राम निमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा ढाई बीघा का आवंटन दिनांक 23.12.75 को दिखाया गया है। उक्त आवंटन मिलीभगत से नियमों के विरूद्व हुआ है। जिसकी अप्रसन्नता से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 10.05.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया। जो इस न्यायालय मे उप जिला कलक्टर अटरू के पत्रांक 5478 दिनांक 24.10.2017 के संलग्न प्राप्त हुआ। अप्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसकी एक प्रति प्रार्थी के अभिभाषक को तकसीम की गई। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा तकसीम जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी एक प्रति अप्रार्थी के अभिभाषक को तकसीम की गई। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसकी एक प्रति अप्रार्थी के अभिभाषक को तकसीम की गई। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 23.12.75 को शहराज मुसलमान के नाम दिखाया गया है। किन्तु खसरा गिरदावरी ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की संख्या 2029 से 2032 की पेश की जा रही है, जिसमे खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि खसरा गिरदावरी के कॉलम नम्बर 40 मे बद्रीलाल पुत्र मांग्या चमार को आवंटन दिनांक 23.12.75 का नोट अंकन है, जो 2 बीघा 10 बिस्वा का है। इस बद्रीलाल पुत्र मांग्या चमार के आवंटन को निरस्त

किये वगैर यह भूमि पुनः शहजाद पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी खेडली गद्दीयान के नाम आवंटन दिखा दी गयी। जबकि इस भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा है तथा वर्तमान मे भी यह भूमि प्रार्थी के कब्जे मे चली आ रही है। इस भूमि का वर्तमान खसरा नम्बर 380 रकबा 0.46 हेक्टयर बताया जा रहा है तथा इसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा था।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे 2013 से चल रहा है तथा स्वंय शहजाद ने माननीय उप जिला कलेक्टर अटरू मे प्रार्थी दाउद पुत्र अली मोहम्मद एवं फरमान पुत्र दाउद, अफसान पुत्र दाउद, बरकत पत्नि दाउद के विरूद्व 183,188 आर.टी.ए. का वाद पेश किया था, जिसमे यह कहा था कि इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं उसक फरमान दाउद वगैराह को बेदखल करके कब्जा दिलाया जावे। यह मुकदमा उप जिला कलेक्टर अटरू मे प्रकरण संख्या 76/2013 पर दर्ज हुआ।

यह कि जब उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है तथा आवंटन बद्रीलाल के नाम हुआ है, तो यह भूमि शहजाद के नाम आवंटन कैसे हो गयी यह संदेह उत्पन्न करता है। यह कि शहजाद पुत्र अब्दुल रहमान द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रथम सूचना 43/2013 कवाई थाने पर 427, 447 आई.पी.सी. मे दर्ज करवायी थी, जिसमे प्रार्थीगण का कब्जा मानकार चालान पेश किया। जिससे प्रार्थीगण का कब्जा स्पष्ट साबित है।

यह कि अब यहॉ प्रश्न यह आता है कि एक ही भूमि पहले बद्रीलाल को आवंटित की गयी। जिस पर कब्जा प्रार्थी का था, तो वही भूमि शहजाद को आवंटन कैसे दिखायी गयी और खसरा गिरदावरी मे जो शहजाद का अंकन किया गया है, वह किसी राजस्व कर्मचारी ने मिली भगत करके अंकन किया है तथा प्रार्थी द्वारा जो आवंटन के कागज पेश किये गये थे, वे कागज उसी राजस्व कर्मचारी ने गायब करवा दिये जो आज तक उपलब्ध नही है।

यह कि चूंकि भूमि पर कब्जा प्रार्थी का है, जिसको स्वंय अप्रार्थी भी मानता है। जिसके बाबत 183, 188 आर.टी.ए का मुकदमा चला व 447, 427 आई.पी.सी. का मुकदमा चला। ऐसी स्थिति मे जो आवंटन की प्रविष्टी खसरा गिरदावरी मे केवल मात्र शहजाद के नाम है वह धोखे से लिखी गयी है एवं शहजाद का आवंटन फर्जी होने से बाद किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा उसका इन्द्रांज किया गया है। इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि आवंटन जो शहजाद के नाम दिनांक 23.12.75 को खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का ग्राम निमोदा तहसील अटरू का दिखाया गया है वह निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि वाके माल ग्राम निमोदा तह0 अटरू के साबिक ख.न. 116 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी हाल ख.न. 380 से 0.46 अप्रार्थी शहजाद के आवंटन की पात्रता के अनुसार दिनांक 23/12/1975 को आवंटन प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार आवंटित हुई है। आवंटन उपरान्त से आवंटि काबिज काश्त रहा । इस पर अप्रार्थी आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जाने के उपरान्त, आवंटन निरस्ती बाबत पेश किया गया प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन विधित संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत पेश किया RBJ-2009 Page No 201 नमेन्द्र लाल बनाम धीरज

1. अप्रार्थी शहजाद ने प्रार्थी एवं उसके परिजनों द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखली का दावा न्याय उपखण्ड अधिकारी अटरू में धारा 183, 188 RT Act पेश किया जो वाद संख्या 76/2013 से बाद विचारण अप्रार्थी शहजाद के पक्ष में दिनांक 03.07.2015 को निर्णीत होकर डिक्री हुआ, डिक्री की पालना में अप्रार्थी एवं उसके परिजनों को अप्रार्थी शहजाद के खाते की आराजी ख.न 380 क्षे0 0.46 है से बेदखल कर कब्जा व दखल अप्रार्थी शहजाद को दिलवा दिया गया है। जो व्यक्ति, सरकारी भूमि पर अवैधानिक अतिक्रमण कर, अवैधानिक अधिपत्य के आधार पर वह सरकारी भूमि के आवंटन के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। इस संबंध मे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पेश किया। RBJ-2016 Page No 401 तेजमल रामसिंह व RBJ 2009 पेज नम्बर 201 उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :–

   RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Land for Agricultural purposes) Rules, 1970- Rule 14(4)- Allotment can not be cancelled under Rule 14 (4) after conferment of Khatedari Right. The allotment cannot be cancelled under rule 14(4) of the Rules of 1970 after conferment of khatedari right. Once an allottee has acquired khatedari right ,his tenancy right can only be extinguished in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and not under rule 14(4) of the Allotment Rules of 1970. The drastic manner in which khatedari rights of the appellant after 24 years of allotment and 8 years after conferment of khatedari right are snatched away is simply unwarranted and illegal which cannot be countenanced. Appeal allowed.

   Hon'ble High Court of Rajasthan in its judgment in writ prtition No. 948 of 1996 Patram and ors. Vs. State of Rajasthan reported in 1995 (2) RBJ 780 has explicty held that allotment cannot be cancelled under rule 14(4) of the rules of 1970 after conferment of khatedari rithts. Once an allottee has acquired khatedari rights, his tenancy rights can only be extinguished in accordance with the provisions fo the Rahasthan Tenancy Act 1955, and not under rule 14(4) of the Allotment Rules of 1970. The drastic manner in which khatedari rights of the appellant after 24 years of allotment and 8 years after conferment of khatedari rights are snatched away is simply is simply unwarranted and illegal which cannot be countenanced.

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष बहस सुनी व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा बहस मे दौहराये गये बिन्दु एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है। उक्त न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नही होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी शहजाद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी खेडली गदि्दयान तहसील अटरू जिला बारां को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1976 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:18:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: